13/R

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रजू– 08/07/15

अपील संख्या 68/15

...लाल पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तहसील बामनवास। – अपीलार्थी

बनाम

1– सरकार जरिये नायब तहसीलदार जी तहसील बामनवास।

– रेस्पोडेन्ट

2–केदार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर बड़ौदा तहसील बामनवास।

निर्णय

दिनांकः– 21.3.18

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अर्न्तगत नायब तहसीलदार बामनवास द्वारा मिसल संख्या 4/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08/06/2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गुर्जर बडौदा कें आराजी ख0नं0 577 रकबा 0.05 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि सें बेदखल किये ...अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्धान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का नवीन अतिकमण होना बताया है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा 91(3) के अर्न्तगत नवीन अतिकमी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का कोई प्रावधान नही है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पश्चावर्ती अतिकमण सिद्ध होता हो तो ही अदालत मातहत द्वारा सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है,साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। नायब तहसीलदार बामनवास ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13/04/2016 में स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त वाद आराजीयात की स्थिती स्पष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिती में सेटलमेन्ट से सीमाज्ञान कराये जाने कि अनुशंषा सहित रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रेषित की है, लेकिन आंदिनांक तक उक्त वाद आराजीयात का सेटलमेन्ट द्वारा सीमाज्ञान नहीं करवाया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

14/A

गया है। बिना सीमाज्ञान के अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर अतिक्रमण होना सिद्ध नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार व रेस्पों के वकील ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार व रेस्पों के वकील ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनने करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ तथा पटवारी हल्का ने अपील रिपोर्ट में अपीलान्ट का नवीन अतिक्रमी बताया है जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशंषा भी व्यक्त की है। तथा आदेशिका दिनांक 01/06/16 द्वारा नायब तहसीलदार बामनवास को अपने नेतृत्व में टीम का गठन कर तथा पक्षकार की उपस्थिति में मौका देखकर रिपोर्ट भिजाने हेतु निर्देशित किया था। उक्त क्रम में नायब तहसीलदार बामनवास ने अवगत कराया कि उक्त वाद आराजीयात की स्थिती स्पष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिती में सेटलमेन्ट से सीमाज्ञान कराये जाने की अनुशंषा सहित न्यायालय हाजा में रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का नवीन अतिक्रमण होना प्रतीत होता है तथा उक्त वाद आराजीयात का सेटलमेन्ट द्वारा सीमाज्ञान करवाने से पूर्व मौका स्थिती स्पष्ट नहीं होना प्रतीत होता है। अतः मेरे अभिमत में उक्त अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08/06/2015 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जाकर लेख है कि उक्त प्रकरण में उभय पक्षों के समक्ष सेटलमेन्ट से उक्त वाद आराजीयात का सीमाज्ञान करवाकर एवं उप जिला कलेक्टर बामनवास के नेतृत्व में पुनः मौका देखकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.3.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर